

न्यायालय जिला कलक्टर, मुक्त

पीठासीन अधिकारी - सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, मुक्त (सिद्धार्थ सिहाग)

अपील संख्या 15 सन् 2021

शिवभगवान पारीक पुत्र मोहनलाल पारीक निवासी गंगागाई का मन्दिर, गंगागाई, पुरी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1), सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

-:: निर्णय ::-

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अपीलांत के अनुसार दिनांक 28.03.2022 को लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर को एक आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पेश किया। निर्धारित समयावधि में लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर प्रार्थी अपीलांत को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी। इस कारण प्रार्थी अपीलांत के अन्तर्गत अपील की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपीलांत व रेस्पोंडेंट की तबी की गई


लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर से दिनांक 07.03.2022 को अपील के अन्तर्गत प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ की आवेदक द्वारा चाही गई सूचना नगरपालिका सरदारशहर से संबंधित इन के आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 6(3) के तहत अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सरदारशहर को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

सुनवाई के दौरान अपीलांत व रेस्पोंडेंट दोनों अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त प्रत्युत्तर पर नमन किया गया चूंकि लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी अपीलांत के आवेदन को नगरपालिका सरदारशहर से संबंधित इन के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 6(3) के तहत अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सरदारशहर को हस्तान्तरित तो कर दिया है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना प्राप्त हो चुकी है तथा हस्तान्तरण के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों अनुसार नहीं किया गया है। अतः अपील स्पेडर की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना नगरपालिका, सरदारशहर से संकलित कर अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करवायी जावे तथा अन्तर्गत में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनो को, जिनमें हस्तान्तरण के लिए जाना उचित हो, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में ही करे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार वापस लिये जाएंगे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(शिवभगवान पारीक)
शिवभगवान पारीक
पुरी